



e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2320-6710

IJRSET

International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 10, Issue 3, March 2021

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 7.512

9940 572 462

6381 907 438

ijirset@gmail.com

www.ijirset.com

नये कृषि कानूनों का मूल्यांकन

DR. RAMESH CHAND MEENA

Assistant Professor, Department of EAFM, BBD Govt. College, Chimanpura, Shahpura, Jaipur,

Rajasthan, India

सार

वर्तमान में किसानों को अपनी उपज की बिक्री में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किसानों के लिये अधिसूचित कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC) वाले बाज़ार क्षेत्र के बाहर कृषि उपज की बिक्री पर कई तरह के प्रतिबंध थे। किसानों को केवल राज्य सरकारों के पंजीकृत लाइसेंसधारियों को उपज बेचने की बाध्यता भी निर्धारित थी साथ ही राज्य सरकारों द्वारा लागू विभिन्न APMC विधानों के कारण विभिन्न राज्यों के बीच कृषि उपज के मुक्त प्रवाह में भी बाधाएँ बनी हुई थी।

इस अधिनियम के माध्यम से एक नए पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना में सहायता मिलेगी जहाँ किसानों और व्यापारियों को कृषि उपज की खरीद और बिक्री के लिये अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

यह अधिनियम राज्य कृषि उपज विपणन कानून के तहत अधिसूचित बाज़ारों के भौतिक परिसर के बाहर अवरोध मुक्त अंतर्राज्यीय और राज्यांतरिक व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता है।

इस अधिनियम के माध्यम से अधिशेष उपज वाले क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज पर बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और साथ ही कम उपज वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनाज प्राप्त हो सकेगा।

इस अधिनियम में कृषि क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का भी प्रस्ताव किया गया है।

इस अधिनियम के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई उपकर या लगान नहीं लिया जाएगा। साथ ही इसके तहत किसानों के लिये एक अलग विवाद समाधान तंत्र की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है।

परिचय

इस अधिनियम से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिसमें किसानों को स्थानीय बाज़ार में अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेचने से कोई खरीददार नहीं मिलता है।

चूँकि, अधिकांश किसान छोटे अथवा सीमांत कृषि-भूमि के मालिक होते हैं, और इनके पास अपनी उपज को दूर के बाज़ारों में बेचने हेतु परिवहन के साधन नहीं होते हैं।

अतः, इन किसानों को अपनी उपज स्थानीय बाज़ार में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमतों पर बेचने के लिये मजबूर होना पड़ता है। भारतीय किसानों को छोटी जोत, मौसम पर निर्भरता, उत्पादन और बाज़ार की अनिश्चितता के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन कमज़ोरियों के कारण आर्थिक दृष्टि से कृषि में बहुत अधिक जोखिम होता है। [1,2,3]

यह विधेयक किसानों को बगैर किसी शोषण के भय के प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा।

इसके माध्यम से किसान प्रत्यक्ष रूप से विपणन से जुड़ सकेंगे, जिससे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त होगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

इस विधेयक से कृषि उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँचाने हेतु आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण तथा कृषि अवसंरचना के विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

पहली चिंता का कारण अनुबंध कृषि में किसानों तथा कॉर्पोरेट के मध्य समझौता करने की शक्ति से संबंधित है। इसमें एक किसान अपनी पैदावार के लिये उचित मूल्य तय करने में कॉर्पोरेट अथवा बड़े व्यावसायिक प्रायोजकों के साथ समझौता करने में पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं होता है।

दूसरे अधिनियम में कहा गया है कि गुणवत्ता मानकों को समझौते में दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से तय किया जा सकता है। लेकिन, कॉरपोरेट्स के द्वारा उपज की गुणवत्ता के संदर्भ में एकरूपता मामलों को शामिल करने पर, गुणवत्ता पहलू काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि, देश में कृषि-पारिस्थितिक विविधता में असमानता होने कारण गुणवत्ता में एकरूपता संभव नहीं होगी।

इस संशोधन के अंतर्गत अकाल, युद्ध, आदि जैसी असामान्य परिस्थितियों के कारण कीमतों में अत्याधिक वृद्धि तथा प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में कुछ निर्दिष्ट कृषि उपजों की आपूर्ति, भंडारण तथा कीमतों को नियंत्रित किये जाने का प्रावधान किया गया है। [4,5,6]

इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने विनियामक वातावरण को उदार बनाने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए। संशोधन विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है।

इस संशोधन के माध्यम से न केवल किसानों के लिये बल्कि उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिये भी सकारात्मक माहौल का निर्माण होगा और यह निश्चित रूप से हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएगा।

इस संशोधन से कृषि क्षेत्र की समग्र आपूर्ति श्रृंखला तंत्र को मज़बूती मिलेगी। इस संशोधन के माध्यम से इस कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर किसान की आय दोगुनी करने और ईज़ ऑफ़ ड्रइंग बिज़नेस

इस अधिनियम के अंतर्गत कृषि उपजों की मूल्य सीमा में उतार-चढ़ाव काफी विषम है (बागवानी उपजों की खुदरा कीमतों में 100% की वृद्धि तथा शीघ्र खराब नहीं होने वाले कृषि खाद्य पदार्थों की खुदरा कीमतों में 50% की वृद्धि)।

इसके तहत किसी कृषि उपज के मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) प्रतिभागी की स्थापित क्षमता स्टॉक सीमा लगाए जाने से मुक्त रहेगी।

निर्यातक, वस्तुओं की मांग दिखाने पर, स्टॉक सीमा लगाए जाने से मुक्त रहेंगे।

संविधान में कृषि को राज्य सूची (सूची II) के विषय के रूप में संदर्भित किया गया है। कृषि व उससे संबंधित विषय को राज्य सूची की (सूची II) प्रविष्टि 14 में सूचीबद्ध किया गया है। [7,8,9]

राज्य सूची की (सूची II) प्रविष्टि 26 'राज्य के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य' को संदर्भित करता है। राज्य सूची की (सूची II) प्रविष्टि 27 'माल के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण' को संदर्भित करती है तो वहीं प्रविष्टि 28 'बाज़ार और मंडियों' को संदर्भित करती है।

केंद्र सरकार ने समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि 33 के आधार पर कृषि से संबंधित विषय पर कानून बनाया था। राज्य सूची की (सूची II) प्रविष्टि 26 और 27 को समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि 33 के प्रावधानों के अधीन सूचीबद्ध किया गया है।

समवर्ती सूची की प्रविष्टि-33 जहाँ एक ओर कृषि विषयों पर राज्यों की शक्ति को सीमित करती है वहीं दूसरी ओर केंद्र को यह अधिकार देते हुए शक्तिमय बनाती है कि वह कृषि उत्पादन, कृषि-व्यापार, खाद्यान्न वितरण और कृषि उत्पाद संबंधी मामलों पर विधि बना सकती है।

केंद्र सरकार, समय-समय पर राज्य सरकारों को ऐसे निर्देश दे सकती है जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से अमल में लाने के लिये आवश्यक समझती है, राज्यों को इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

वर्तमान में भी देश में किसानों की एक बड़ी आबादी के पास छोटी जोत है और उनके पास आधुनिक उपकरणों का अभाव है, ऐसे में सरकार को कृषि में वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग और नवीन उपकरणों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिये। [10,11]

संविधान की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि-14 के तहत कृषि को राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया है, अतः केंद्र सरकार का निर्णय राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप के साथ संविधान में निहित सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की भावना को चोट पहुँचा सकता है, अतः केंद्र को इस प्रकार के कानून निर्माण से पूर्व राज्यों के विश्वास को प्राप्त करना चाहिये।

विचार-विमर्श

सरकार ने "किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश", "मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश, पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता", और "आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश" जारी किया था।, उचित प्रक्रिया का पालन करके केंद्र सरकार ने संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 33 के तहत नए कृषि कानून बनाए थे, जिसके तहत संसद संवैधानिक रूप से कानून बनाने के लिए सक्षम है और कानून पारित कर चुकी है।

उपरोक्त कानूनों पर विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए और बाद में इन्हें अधिनियम में बदल दिया गया।

सरकार हमेशा कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) को मजबूत करने और सेवाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार के माध्यम से उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के विचार का समर्थन करती रही है। सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार, कृषि बाजार अवसंरचना (एएमआई), राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम), कृषि जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे और मूल्य श्रृंखला विकास के लिए एपीएमसी को सहायता प्रदान कर रही है। इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) और कृषि विपणन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एएमआईएफ), आदि।

नए कृषि कानून अर्थात्, "किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, "मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता" और "आवश्यक वस्तु (संशोधन)") अधिनियम, का उद्देश्य एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना है जहां किसान किसानों की उपज की बिक्री से संबंधित पसंद की स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं जो किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से लाभकारी कीमतों की सुविधा प्रदान करता है। ये कृषि अधिनियम व्यापारियों, प्रोसेसरों, निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि सहकारी समितियों आदि द्वारा व्यापार क्षेत्र में किसानों से सीधी खरीद की सुविधा प्रदान करेंगे, ताकि आपूर्ति श्रृंखला में कमी के कारण किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति की सुविधा मिल सके। उनकी आय बढ़ाने के लिए विपणन लागत।[12,13]

कृषि कानून एपीएमसी मार्केट यार्ड जैसे फार्म-गेट, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, साइलो आदि के बाहर अतिरिक्त विपणन अवसर प्रदान करते हैं ताकि किसानों को अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा के कारण लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल सके। कृषि कानून ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करते हुए फार्म गेट के पास विपणन और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश को गति देंगे। इसके अलावा किसान पहले की तरह एपीएमसी में अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष दोनों फसल मौसमों में उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) की 22 प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है। सरकार अपनी विभिन्न हस्तक्षेप योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य भी प्रदान करती है। एमएसपी पर खरीद सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा की जा रही है। इसके अलावा, समग्र बाजार भी एमएसपी की घोषणा और सरकार के खरीद कार्यों पर प्रतिक्रिया करता है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न अधिसूचित फसलों की बिक्री मूल्य में वृद्धि होती है।

एमएसपी नीति का कृषि अधिनियमों से कोई लेना-देना नहीं है। किसान अपनी उपज सरकारी खरीद एजेंसियों को एमएसपी या कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) बाजारों में या अनुबंध खेती के माध्यम से या खुले बाजार में, जो भी उनके लिए फायदेमंद हो, बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

हाल ही में प्रधानमंत्री ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की।

संसद (लोकसभा + राज्यसभा + राष्ट्रपति) के पास किसी भी कानून को बनाने, संशोधित करने और निरस्त करने का अधिकार है।

कृषि कानूनों को लेकर एक साल से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा राज्यों के किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था।[11,12]

तीन कृषि कानून:

किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) अधिनियम, : इसका उद्देश्य मौजूदा कृषि उपज विपणन समिति (APMC) को मंडियों के बाहर कृषि उपज में व्यापार करने की अनुमति देना है।

मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण व संरक्षण) समझौता अधिनियम, : यह अनुबंध खेती के लिये एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, : इसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाना है।

कानून बनाने का कारण:

कृषि विपणन में सुधार की लंबे समय से मांग की जा रही है, यह एक ऐसा विषय है जो राज्य सरकारों के दायरे में आता है।

केंद्र सरकार ने प्रारंभ में राज्यों के APMC अधिनियमों में सुधारों पर जोर देकर इस मुद्दे को उठाया।

तत्कालीन सरकार के तहत कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2003 में एक मॉडल APMC अधिनियम तैयार किया और इसे राज्यों के बीच परिचालित किया।

इसके पहले आगामी सरकारों ने भी इन सुधारों पर जोर दिया लेकिन यह देखा गया कि यह राज्य का विषय है, केंद्र को राज्यों के मॉडल APMC अधिनियम अपनाने में बहुत कम सफलता मिली है।

इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने इन कानूनों को पारित करके इस क्षेत्र में सुधार किये।

कृषि कानूनों को निरस्त करना: विरोध करने वाले किसान संगठनों की पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त करना है।

किसानों के अनुसार, कानून बड़े निगमों के अनुकूल बनाया गया है जो भारतीय खाद्य और कृषि व्यवसाय पर हावी होना चाहते हैं तथा ये किसानों की बातचीत करने की शक्ति को कमजोर करेंगे। साथ ही इससे बड़ी निजी कंपनियों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिल सकता है।[10,11]

न्यूनतम समर्थन मूल्य: किसानों की दूसरी मांग उचित मूल्य पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी है।

किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और पारंपरिक खाद्यान्न खरीद प्रणाली को जारी रखने के लिये एक विधेयक के रूप में लिखित आश्वासन प्राप्त करने की भी मांग कर रहे हैं।

किसान संगठन चाहते हैं कि APMC या मंडी व्यवस्था को सुरक्षित रखा जाए।

विद्युत (संशोधन) विधेयक: किसानों की तीसरी मांग विद्युत (संशोधन) विधेयक को वापस लेने की है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उन्हें मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी।

स्वामीनाथन आयोग: किसान स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित एमएसपी की मांग कर रहे हैं।

स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि एमएसपी में सरकार को उत्पादन की औसत लागत की कम-से-कम 50% वृद्धि करनी चाहिये। इसे C2 + 50% सूत्र के रूप में भी जाना जाता है।

इसमें किसानों को 50% प्रतिफल/रिटर्न देने के लिये पूंजी एवं भूमि पर लगान (जिसे 'C2' कहा जाता है) को भी शामिल किया गया है।

जनवरी में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीनों कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई थी।

ये कृषि कानून अध्यादेश के प्रख्यापित होने तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन पर रोक लगाने तक केवल 221 दिनों तक ही लागू रहे।

रोक के बाद से कानूनों को निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने तीन कृषि कानूनों में से एक के माध्यम से अधिनियम में संशोधन करते हुए स्टॉक सीमा का निर्धारण करने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के पुराने प्रावधानों का उपयोग किया है।

निरसन इस बात को रेखांकित करता है कि ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था में भविष्य में बेहतर सुधार के किसी भी प्रयास हेतु न केवल सुधारों के बेहतर डिज़ाइन की, बल्कि व्यापक स्तर पर स्वीकृति के लिये भी परामर्श की आवश्यकता होगी।

इन कानूनों के निरसन से सरकार सुधारों को फिर से आगे बढ़ाने में हिचकिचाएगी।

निःसंदेह सरकार को सुधार के लिये बहुत सावधानी बरतनी होगी।



यह देखते हुए कि भारत में औसत जोत का आकार मात्र 0.9 हेक्टेयर (2018-19) है, यह कहा जा सकता है कि जब तक कोई किसान उच्च-मूल्य वाली कृषि को नहीं अपनाता है- जहाँ रसद, भंडारण, प्रसंस्करण, ई-कॉमर्स और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में निजी निवेश आवश्यक है, किसानों की आय में वृद्धि नहीं हो सकती है।^[9,10]

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन क्षेत्रों में उत्पादन के साथ-साथ इनपुट विपणन में भी सुधारों की आवश्यकता है, जिसमें भूमि पट्टा बाजार और सभी इनपुट सब्सिडी- उर्वरक, बिजली, ऋण व कृषि मशीनरी का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शामिल है।

रसद कोल्ड चैन, कृषि और कृषि उपकरण से संबंधित उद्योग सबसे अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि उन्हें इन कानूनों का प्रत्यक्ष लाभार्थी माना जाता था।

पिछले 14 वर्षों में कृषि- सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) की वृद्धि 3.5% प्रतिवर्ष रही है। इस प्रवृत्ति के जारी रहने की उम्मीद है, वर्षा के पैटर्न के आधार पर कृषि-जीडीपी में मामूली बदलाव हो सकता है।

भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न भंडार में अनाज के भंडार के साथ चावल और गेहूँ के फसल पैटर्न में परिवर्तन होगा।

एक सकारात्मक स्तर पर कृषि कानूनों के साथ प्रयास सरकार को महत्वपूर्ण सबक प्रदान कर सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को अधिक परामर्शी व पारदर्शी आधार पर संभावित लाभार्थियों को बेहतर ढंग से संप्रेषित किये जाने की आवश्यकता है।

यह समावेशन भारत की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के केंद्र में निहित है। हमारे समाज की तर्कशील प्रकृति को देखते हुए सुधारों को लागू करने के लिये समय और सहजता की आवश्यकता है लेकिन इस बात को सुनिश्चित करने हेतु सभी का मन भी जीतना होगा।

परिणाम

भारतीय कृषि अधिनियम, जिसे अक्सर कृषि विधेयक भी कहा जाता है,^{[1][2]} में भारत की संसद द्वारा शुरू किए गए तीन अधिनियम हैं। लोकसभा ने विधेयकों को मंजूरी दी और राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी थी^[3] भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने अपनी स्वीकृति दी थी।^[4]

कानूनों ने सरकार द्वारा संचालित थोक बाजारों की एक प्रणाली को नियंत्रित कर दिया होगा, जिससे किसान सीधे खाद्य प्रोसेसर को बेच सकेंगे, लेकिन किसानों को डर था कि इससे सरकार द्वारा गारंटीकृत मूल्य सीमा समाप्त हो जाएगी, जिससे उनकी फसलों के लिए प्राप्त होने वाली कीमतों में कमी आएगी।^[5] इसने नए कृत्यों के खिलाफ विरोध को प्रेरित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी और कृषि कानूनों से संबंधित किसानों की शिकायतों को देखने के लिए एक समिति नियुक्त की।^{[6][7]} एक टेलीविज़न संबोधन में, भारत के प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार दिसंबर में आगामी संसदीय सत्र में कानूनों को निरस्त करेगी।^{[8][9][10][11]} कानूनों को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया^[12] सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक की गई थी।^[13]

फार्म अधिनियम

1. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम
 - किसानों की उपज के व्यापार क्षेत्रों का दायरा चुनिंदा क्षेत्रों से "उत्पादन, संग्रह, एकत्रीकरण के किसी भी स्थान" तक विस्तारित करता है।
 - अनुसूचित किसानों की उपज के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और ई-कॉमर्स की अनुमति देता है।
 - राज्य सरकारों को 'बाहरी व्यापार क्षेत्र' में किसानों की उपज के व्यापार के लिए किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कोई बाजार शुल्क, उपकरण या लेवी लगाने से रोकता है।
2. मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता^[11]
 - किसानों को मूल्य निर्धारण के उल्लेख सहित खरीदारों के साथ पूर्व-व्यवस्थित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
 - विवाद समाधान तंत्र को परिभाषित करता है।
3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम

- अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेल जैसे खाद्य पदार्थों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है, "असाधारण परिस्थितियों" को छोड़कर बागवानी तकनीकों द्वारा उत्पादित कृषि वस्तुओं पर स्टॉकहोल्डिंग सीमा हटा दी गई है
- इसके लिए आवश्यक है कि कृषि उपज पर कोई भी स्टॉक सीमा केवल तभी लगाई जाए जब कीमतों में भारी वृद्धि हो।^[23]

कोर्ट स्टे

सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी।^[7] सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों से संबंधित शिकायतों पर गौर करने के लिए एक समिति नियुक्त की।^{[7][8]} समिति ने जनता कृषि कानूनों से संबंधित सुझाव मांगे।^[26]

प्रति विधान

पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभाओं ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किए।^{[27][28][29]}

सरकारी प्रतिक्रिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलों को भारतीय कृषि के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में संदर्भित किया और कहा कि बिल "कृषि क्षेत्र का पूर्ण परिवर्तन सुनिश्चित करेंगे" और लाखों किसानों को सशक्त बनाएंगे।^[37] प्रधानमंत्री के मन की बात रेडियो संबोधन में उन्होंने कहा कि "सभी राजनीतिक दल किसानों से वादे करते रहे हैं लेकिन अब ये वादे पूरे हो गए हैं।"^{[38][39]}

कई केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों से आग्रह किया कि वे सुधारों के बारे में गलतफहमी न पालें।^{[40][41]} कृषि विधेयकों में अनिवार्य प्रावधान के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को शामिल करने की मांग को खारिज करते हुए, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि, जबकि सरकार एमएसपी के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहले भी "कानून का हिस्सा नहीं" था और आज भी "नहीं" है।^[42]

मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार उस महीने के अंत में संसद का नया सत्र शुरू होने पर तीन विधेयकों को निरस्त कर देगी। "मैं प्रदर्शनकारी किसानों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने परिवारों के पास घर लौट जाएं और आइए नई शुरुआत करें।" मोदी ने एक टेलीविज़न संबोधन में कहा।^{[43][44][45]}

स्वतंत्र विश्लेषक

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा, "कृषि बिल और श्रम बिल सही दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम हैं"। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन कानूनों का कार्यान्वयन सही होना चाहिए।^[46] समाजशास्त्री साल्वाटोर बेबोन्स ने कृषि कानूनों का समर्थन किया और कहा कि सुधार भारतीय कृषि को "स्थानीय रूप से प्रबंधित ग्रामीण अर्थव्यवस्था से एक आधुनिक राष्ट्रीय उद्योग" में बदल देंगे।^[47] ^{जनवरी} कई शैक्षणिक संस्थानों के 866 शिक्षाविदों ने एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए, तीन कृषि कानूनों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए। हस्ताक्षरकर्ता " डीयू, जेएनयू, गोरखपुर विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय और अन्य" से थे।^{[48][49][50]} अमेरिकी विदेश विभाग ने कानूनों के लिए समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि वे सरकार और कानूनों का विरोध करने वालों के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करते हुए बाजार दक्षता और निजी निवेश में सुधार करेंगे।^[8,9]

विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने कहा कि नए कृषि बिल "त्रुटिपूर्ण" और "किसानों के लिए हानिकारक" हैं।^[53] पूरे भारत और कई विदेशी विश्वविद्यालयों के 413 शिक्षाविदों ने एक बयान में कहा कि नए कृषि बिल भारतीय कृषक समुदायों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं और सरकार से इसे छोड़ने का आग्रह किया। बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बैंगलोर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएम कलकत्ता, लंदन फिल्म स्कूल, जोहान्सबर्ग विश्वविद्यालय, ओस्तो विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय शामिल थे। मैसाचुसेट्स, पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय और अन्य।^[54]

किसानों और विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र में किसान संघ शेतकारी संगठन ने विधेयकों का समर्थन किया और चाहता था कि बाजार कृषि वस्तुओं की कीमतें तय करे। इसमें तर्क दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों ने वास्तव में किसानों को सशक्त बनाने के बजाय उन्हें कमजोर कर दिया है।^{[55][56]} सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के अनुसार, लगभग 3.3 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 85.7 प्रतिशत किसान संगठनों ने कानूनों का समर्थन किया।^{[57][58]}

केरल विधानसभा ने कृषि सुधारों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर उन्हें वापस लेने की मांग की।^[59]^[60] पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तथा दिल्ली के बाद ऐसा करने वाला यह पांचवां राज्य था।^[61] पश्चिम बंगाल विधानसभा को छठा राज्य बन गई।^[62] पंजाब विधानसभा की शुरुआत में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ एक और प्रस्ताव पारित किया।^[63] विभिन्न विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बिल पारित किए गए थे। असंवैधानिक रूप से संसदीय मानदंडों की "पूर्ण अवहेलना" और किसान विरोधी और कॉर्पोरेट-हितैषी हैं।^[64] भारतीय किसान संघ (बीकेएस), एक किसान संगठन, ने मांग की है कि सरकार विधेयकों को कृषि पर संसदीय स्थायी समिति को भेजे और विधेयकों को पारित कराने में सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाया है।^[65]

इन कृत्यों को भारत के विभिन्न हिस्सों में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है और आरोप लगाया है कि इससे उनकी कमाई को नुकसान होगा।^[66] विरोध का मुख्य कारण सुधारों के कार्यान्वयन के संबंध में अनिश्चितता है,^[67] न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर विवाद^[68] और किसानों की कम सौदेबाजी की शक्ति कुछ ऐसी आशंकाएं हैं जिनके कारण विरोध हुआ है। बिलों का विरोध,^[69] एमएसपी के लिए बिलों में वैधानिक समर्थन की कमी चिंता का एक प्रमुख बिंदु है, खासकर पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए, जहां 65% गेहूं भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर खरीदा जाता है।^[70] प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 1998 में चीनी उद्योग के विनियमन, जिसने निजी प्रतिष्ठानों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, के परिणामस्वरूप किसानों की उत्पादकता या आय में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ। बिहार में एपीएमसी को नियंत्रण मुक्त करने के राज्य के नेतृत्व वाले प्रयास के परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि नहीं हुई या बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं हुआ।^[70]

कई किसान संगठनों ने अधिनियमों के खिलाफ तीव्र आंदोलन की घोषणा की "भारत बंद" का आह्वान किया। इसे 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और 18 राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया।^[71]^[72]^[73] इन कानूनों के प्रस्ताव के बाद से भारत के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ये विरोध प्रदर्शन पहले बड़े पैमाने पर किसान विरोध प्रदर्शन हैं। हरियाणा के किसानों को हरियाणा पुलिस द्वारा दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया था।^[74]^[75] अंबाला के पास सीमा पर, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बलों द्वारा पानी की बौछारों की गईं और आंसू गैस के गोले छोड़े गए; प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके और पुलिस बैरिकेड्स को नदी में फेंक दिया।^[76] जवाब में पुलिस ने पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। मीडिया ने बताया है कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले कुछ मार्गों पर पुलिस द्वारा खाइयाँ खोदी गई थीं; हरियाणा सरकार ने हरियाणा और दिल्ली को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को खोद डाला। दिल्ली मार्च के रास्ते में रेत से भरे ट्रक और बुलडोजर भी लगाए गए थे। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर को किसानों ने ब्लॉक कर दिया था।^[77]

कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन प्रमुख राकेश टिकैत थे। दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे किसानों पर प्रशासनिक कार्रवाई करने की कोशिश की गई, लेकिन राकेश टिकैत अपने इरादों से डिगे नहीं और इस दौरान उनकी आंखों में 'आंसुओं' की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। मीडिया। और इसने किसानों के इस आंदोलन को एक नई 'धार' दे दी।^[78]^[79]

निरस्त करें

गुरुपर्व के अवसर पर, भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार दिसंबर में संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान तीन अधिनियमों को निरस्त कर देगी। टेलीविजन पर प्रसारित एक संबोधन में, मोदी ने किसानों को कानून के फायदे समझाने में अपनी सरकार की असमर्थता पर अफसोस जताते हुए कहा:^[10]^[80]^[81]

...किसानों को लाभ समझाने के कई प्रयासों के बावजूद, हम असफल रहे हैं। गुरु पर्व के मौके पर सरकार ने तीन कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है।

विशेषज्ञों और चुनाव पर नजर रखने वालों ने सुझाव दिया कि में पंजाब और उत्तर प्रदेश में आगामी राज्य चुनावों का मोदी के फैसले पर प्रभाव पड़ेगा।^[82] भारतीय संसद ने देश में कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए विधेयक पारित किया।^[83] कई मांगों के बावजूद, बिल को निचले सदन यानी लोकसभा और उच्च सदन यानी राज्यसभा दोनों में बहस के बिना पारित कर दिया गया।^[84] कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक लोकसभा में पेश किए जाने के चार मिनट के भीतर पारित हो गया। इसे दोपहर 12:06 बजे पेश किया गया और 12:10 बजे तक पारित कर दिया गया, जबकि विपक्ष ने चर्चा की मांग की।^[85]

अन्य मांगें और विरोध वापसी

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राकेश टिकैत ने कहा कि विरोध केवल तभी बंद होगा जब कानून रद्द कर दिए जाएंगे, और यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून संसद के माध्यम से पारित हो जाता है, तो सरकार की इच्छा से और एक समिति भी

बना दी जाएगी। भारत सरकार और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ किसानों के अन्य कृषि हितों के लिए सीधे संवाद के उद्देश्य से।^[86]

निष्कर्ष

भारत विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसके बावजूद, क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद, पोषण और भूख देश में स्थानिक मुद्दे हैं^{[15][16][17]} किसानों की आत्महत्याएं और किसानों की आय भी गंभीर चुनौतियां हैं जो दशकों से अनसुलझी हैं।^{[18][19]}

भारत के 1.3 अरब लोगों में से लगभग 50% लोग जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर हैं, हालांकि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 20% से भी कम है।^[6]

राज्य, संघ और समवर्ती सूची में कृषि

भारत के संविधान, अनुच्छेद 246, में तीन सूचियाँ हैं; राज्य सूची में 6 बार, संघ सूची में 4 बार, और समवर्ती सूची में 2 बार "कृषि" का उल्लेख है।^[20]

चुनाव घोषणापत्र का वादा

भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ने वर्षों से अपने घोषणापत्र में कृषि सुधारों का वादा किया है।^{[21][22]}

फार्म अधिनियम

केंद्र सरकार ने कई मॉडल खेती अधिनियम जारी किए। हालांकि, कृषि पर स्थायी समिति ने कहा कि मॉडल अधिनियमों में सुझाए गए कई सुधारों को राज्यों द्वारा लागू नहीं किया गया है। विशेष रूप से, समिति ने पाया कि भारतीय कृषि बाजारों को विनियमित करने वाले कानून (जैसे कि कृषि उपज बाजार समितियों या एपीएमसी से संबंधित) निष्पक्ष और ईमानदारी से लागू नहीं किए जा रहे थे या अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे थे। ऐसा माना जाता था कि केंद्रीकरण प्रतिस्पर्धा और (तदनुसार) भागीदारी को कम कर रहा है, अनुचित कमीशन, बाजार शुल्क और संघों के एकाधिकार से कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंच रहा है।^[23]

कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए सात मुख्यमंत्रियों की एक समिति गठित की गई थी।^[23] समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।^[24] केंद्र के पहले सप्ताह में तीन अध्यादेश जारी किए[13]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. "Farm bills: Are India's new reforms a 'death warrant' for farmers?". BBC News (अंग्रेज़ी में). 23 September 2020. अभिगमन तिथि 27 January 2020.
2. ↑ "Farm Bills have potential to represent significant step forward for agriculture reforms in India: IMF". The Hindu (अंग्रेज़ी में). PTI. 15 January 2020. आइएसएसएन° 0971-751X. अभिगमन तिथि 27 January 2020.
3. ↑ "Parliament passes The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 and The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement and Farm Services Bill, 2020". pib.gov.in. अभिगमन तिथि 21 December 2020.
4. ↑ "President Kovind gives his assent for 3 farm bills passed by Parliament". mint (अंग्रेज़ी में). 27 September 2020. अभिगमन तिथि 6 October 2020.
5. ↑ Spindle, Bill; Agarwal, Vibhuti (2020-10-13). "India Turns to Economic Overhaul as Growth Prospects Slide Amid Coronavirus - Prime Minister Narendra Modi's party pushes through changes to farming and labor regulations". The Wall Street Journal. In a single swoop, it dismantled a longstanding regulatory system that forced farmers to sell most of their crops through government-approved wholesale markets dominated by traders and middlemen instead of directly to consumers or food processors. The new laws, for example, allow for the first time for many crops to be stored and sold later, eliminating restrictions that contributed to the spoilage of as much as one-third of some crops. ... Government-approved wholesale markets have largely shut or slowed sales as the traders and middlemen who dominate them protest against the prospect of new competition. Small farmers, who suddenly have no place to sell their products until other buyers step up, have also erupted in protest. They fear the government will



eventually phase out a system of guaranteed price floors for some crops, leaving them little leverage in dealing directly with large-scale buyers.

6. ↑ "Supreme Court Stays Implementation of Farm Laws, Sets Up Committee for Talks". The Wire. 12 January 2020. मूल से 12 January 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2020-02-09.
7. ↑ "Farm laws: SC irked over criticism of court-appointed committee members". Hindustan Times (अंग्रेज़ी में). 2020-01-20. अभिगमन तिथि 2020-02-09.
8. ↑ "India's Modi backs down on farm reforms in surprise victory for protesters". Reuters (अंग्रेज़ी में). 2020-11-19. अभिगमन तिथि 2020-11-19.
9. ↑ Saaliq, Sheikh (2020-11-19). "India to repeal controversial farm laws that led to protests". AP News (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2020-11-19.
10. ↑ "Three farm laws to be rolled back, says PM Modi, urges farmers to leave protest sites". India Today. 2020-11-19. मूल से 19 November 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2020-11-19.
11. ↑ "कृषि कानून रद्द: PM मोदी के ऐलान के बाद कितने बदलेंगे पश्चिमी UP के सियासी समीकरण". आज तक. अभिगमन तिथि 2020-11-19.
12. ↑ Suri, Manveena; Mogul, Rhea (2020-12-02). "India formally repeals controversial farm laws after year of protests". अभिगमन तिथि 2020-06-12.
13. ↑ "SC-appointed panel was against repealing three farm laws". The Economic Times. PTI. 21 March 2019. अभिगमन तिथि 2019-03-26.



**Impact Factor:
7.512**



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

 9940 572 462  6381 907 438  ijirset@gmail.com



www.ijirset.com

Scan to save the contact details